



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102025-267143
CG-DL-E-30102025-267143

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 684]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 22, 2025/आश्विन 30, 1947

No. 684]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2025/ASVINA 30, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि. 768(अ).— केन्द्रीय सरकार, बॉयलर अधिनियम, 2025 (2025 का 12) की धारा 39 की उपधारा (2) के खंड (ज), (झ) और (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बॉयलर अपील नियम, 2013 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बॉयलर (अपील और पुनरीक्षण) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से बॉयलर अधिनियम, 2025 (2025 का 12) अभिप्रेत है;

(ख) "अपील प्राधिकारी" से नियम 3 के अंतर्गत अपील प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "पुनरीक्षण प्राधिकारी" से नियम 3 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. अपील प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी- अधिनियम की धारा 25 और 26 के प्रयोजन के लिए तकनीकी सलाहकार अपील प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी होगा।

4. अपील- (1) अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) और (2) के अधीन, यथास्थिति, मुख्य निरीक्षक या निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यक्ति कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर, प्ररूप-1 में अपील प्राधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा।

(2) जहां उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील फाइल की जाती है, वहां उसके साथ एक आवेदन संलग्न किया जाएगा, जिसके साथ एक शपथ-पत्र होगा जिसमें अपीलार्थी द्वारा उन तथ्यों का उल्लेख किया जाएगा, जिनसे अपील प्राधिकारी को यह संतुष्टि हो सके कि विहित अवधि के भीतर अपील फाइल न करने का उसके पास पर्याप्त कारण था।

(3) उपनियम (1) के अधीन फाइल अपील के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे-

(क) मुख्य निरीक्षक के उस आदेश की प्रतिलिपि जिसके विरुद्ध अपील फाइल की गई है; या

(ख) निरीक्षण प्राधिकारी का अस्वीकृति आदेश; और

(ग) ऐसे दस्तावेज, जो अपील में उल्लिखित अपील के आधारों के समर्थन में आवश्यक हों।

5. अपील प्रस्तुत करना- कोई अपील या तो व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट या ई-मेल द्वारा अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत की जा सकेगी।

6. शुल्क - (1) प्रत्येक अपील के साथ 5000/- रुपए (पांच हजार रुपए मात्र) का शुल्क "आहरण तथा संवितरण अधिकारी, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग" के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से आहरित और नई दिल्ली में देय रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में अथवा भारत कोष पोर्टल www.bharatkosh.gov.in के माध्यम से जमा करना होगा।

(2) पावती पर्ची अपील के साथ संलग्न करनी होगी।

7. अपील की सुनवाई की तारीख और स्थान- (1) अपील प्राधिकारी अपील प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर अपील की सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) अपील प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवाई की तारीख से अवगत कराएगा और अपील की सुनवाई से पूर्व अपील की एक प्रति प्रतिवादी को भेजेगा।

8. अपील की सुनवाई- (1) सुनवाई के लिए नियत तारीख पर या किसी अन्य तारीख पर, जिस तारीख तक सुनवाई स्थगित की जा सकेगी, अपीलार्थी को अपील के समर्थन में सुना जाएगा और फिर अपील प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिवादी को सुनेगा, और ऐसे मामले में अपीलार्थी उत्तर देने का हकदार होगा और लिखित बहस के साथ-साथ मौखिक प्रस्तुतियां भी दी जा सकेंगी, जो अपील प्राधिकारी द्वारा अवधारित समय-सीमा के अधीन होंगी।

(2) यदि अपीलार्थी सुनवाई के लिए नियत तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो अपील प्राधिकारी अपने विवेकानुसार, अपील को निरस्त कर सकेगा या गुण-दोष के आधार पर अपील पर एकपक्षीय विनिश्चय दे सकेगा।

(3) प्रमाणपत्र प्रदान करने या उसके नवीनीकरण को प्राधिकृत करने वाला कोई भी आदेश, लागू शुल्क के भुगतान के अधीन होगा।

9. मुख्य निरीक्षक या निरीक्षण प्राधिकारी की उपस्थिति-अपील प्राधिकारी यह विनिश्चय करेगा कि अपील की सुनवाई के दौरान यथास्थिति मुख्य निरीक्षक या निरीक्षण प्राधिकारी, की उपस्थिति आवश्यक है या नहीं, तथा तदनुसार निदेश जारी करेगा।

10. साक्षियों की उपस्थिति-अपील के दौरान, अपील प्राधिकारी यह विनिश्चय करेगा कि मामले के न्यायनिर्णयन के लिए साक्षियों की उपस्थिति अपेक्षित है या नहीं और तदनुसार निदेश जारी करेगा।

11. पुनरीक्षण - (1) अधिनियम की धारा 25 के अधीन पारित किसी आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति से साठ दिन की अवधि के भीतर, पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्ररूप-2 में पुनरीक्षण के लिए लिखित रूप में आवेदन कर सकेगा।

(2) जहां पुनरीक्षण के लिए आवेदन उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रस्तुत किया जाता है, वहां उसके साथ एक आवेदन संलग्न किया जाएगा, जिसके साथ एक शपथ-पत्र होगा जिसमें पुनरीक्षण याचिकाकर्ता द्वारा ऐसे तथ्यों का उल्लेख होगा, जिससे पुनरीक्षण प्राधिकारी को यह संतुष्टि हो सके कि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पुनरीक्षण आवेदन न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण थे।

(3) उप-नियम (1) के अधीन फाइल पुनरीक्षण के लिए आवेदन के साथ मूल आदेश या अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति और ऐसे दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, जो पुनरीक्षण के आधारों के समर्थन में अपेक्षित हों।

12. पुनरीक्षण प्रस्तुत करना- पुनरीक्षण आवेदन पुनरीक्षण प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट या ई-मेल द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

13. शुल्क - (1) पुनरीक्षण के प्रत्येक आवेदन के साथ 5000/- रुपए (पांच हजार रुपए मात्र) का शुल्क “आहरण तथा संवितरण अधिकारी, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग” के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से आहरित और नई दिल्ली में देय रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में अथवा भारत कोष पोर्टल www.bharatkosh.gov.in के माध्यम से जमा करना होगा।

(2) पुनरीक्षण आवेदन के साथ पावती पर्ची संलग्न करनी होगी।

14. पुनरीक्षण की सुनवाई की तारीख और स्थान - (1) पुनरीक्षण प्राधिकारी, पुनरीक्षण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर पुनरीक्षण की सुनवाई की तारीख और स्थान नियत करेगा।

(2) पुनरीक्षण प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवाई की तारीख की सूचना देगा और सुनवाई से पूर्व पुनरीक्षण आवेदन की एक प्रति प्रतिवादी को भेजेगा।

15. पुनरीक्षण की सुनवाई - (1) सुनवाई के लिए नियत तारीख पर या किसी अन्य तारीख पर, जिस तारीख तक सुनवाई स्थगित की जा सकेगी, याचिकाकर्ता को पुनरीक्षण के समर्थन में सुना जाएगा और पुनरीक्षण प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिवादी को सुनेगा, और ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता उत्तर देने का हकदार होगा और लिखित बहस के साथ मौखिक प्रस्तुतियां भी दी जा सकेंगी, जो पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा विहित समय-सीमा के अधीन होंगी।

(2) पुनरीक्षण प्राधिकारी, पुनरीक्षण की सुनवाई के दौरान उसकी सहायता के लिए बॉयलर या बॉयलर सहायक उपकरण या किसी अन्य सुसंगत क्षेत्र से ऐसे विशेषज्ञों या सलाहकारों को बुला सकेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(3) पुनरीक्षण प्राधिकारी, सुसंगतरिकाई और अन्य जानकारी मंगाने तथा पुनरीक्षण आवेदन पर की गई टिप्पणियों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात; तथा ऐसी तकनीकी और विशेषज्ञ सलाह, जो वह आवश्यक समझे, प्राप्त करने के पश्चात्, पुनरीक्षण आवेदन के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह उचित समझेगा:

परन्तु जहां पुनरीक्षण की अनुमति दी जाती है, वहां आदेश में वे निवंधन और शर्तें निर्दिष्ट की जाएंगी, जिन पर बॉयलर की जांच के दौरान इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों में किसी भी परिवर्तन पर विचार किया जाएगा।

(4) यदि याचिकाकर्ता सुनवाई के लिए नियत तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो पुनरीक्षण प्राधिकारी, अपने विवेकानुसार, पुनरीक्षण आवेदन को निरस्त कर सकेगा या गुण-दोष के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन पर एकपक्षीय विनिश्चय कर सकेगा।

प्ररूप-1
अपील के लिए आवेदन
[नियम 4 देखें]

सेवा में

तकनीकी सलाहकार और अपील प्राधिकारी,
 उद्योग संबंधन और आंतरिक व्यापार विभाग,
 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
 नई दिल्ली।

1.	अपीलार्थी का विवरण:	
	(i) नाम:	
	(ii) पत्राचार के लिए पता:	
	(iii) दूरभाष:	
	(iv) ईमेल:	
2.	अपील के आधार: (मुख्य निरीक्षक के आदेश या निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मना करने संबंधी आदेश की प्रति, यथास्थिति, संलग्न की जाए)	
3.	मुख्य निरीक्षक के आदेश या निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मना किए जाने की तारीख:	
4.	तथ्यों का विवरण: मैं/हम..... अपीलार्थी एत द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि उक्त वर्णित तथ्य मेरी/हमारी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं।	
5.	अपीलार्थी के हस्ताक्षर एवं तारीख:	
	(अपीलार्थी का नाम)	

प्ररूप-2
पुनरीक्षण के लिए आवेदन
[नियम 11 देखें]

सेवा में

तकनीकी सलाहकार और पुनरीक्षण प्राधिकारी,
 उद्योग संबंधन और आंतरिक व्यापार विभाग,
 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
 नई दिल्ली।

1.	पुनरीक्षण आवेदक का विवरण:	
	(i) नाम:	
	(ii) पत्राचार के लिए पता:	

	(iii) दूरभाषः	
	(iv) ईमेलः	
2.	पुनरीक्षण के आधारः (अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की प्रति संलग्न करें)	
3.	आदेश की तारीखः	
4.	तथ्यों का विवरणः	
	मैं/हम..... अपीलार्थी एतद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि उक्त वर्णित तथ्य मेरी/हमारी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं।	
5.	पुनरीक्षण आवेदक के हस्ताक्षर एवं तारीखः (पुनरीक्षण आवेदक का नाम)	

[फा. सं. पी-30015/7/2025-बॉयलर]

डॉ. संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2025

G.S.R. 768(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (h), (i) and (j) of sub-section (2) of section 39 of the Boilers Act, 2025 (12 of 2025) and in supersession of the Boiler Appeal Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Boilers (Appeal and Revision) Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –
(a) “Act” means the Boilers Act, 2025 (12 of 2025);
(b) “Appellate Authority” means the Appellate Authority under rule 3;
(c) “Revisional Authority” means the Revisional Authority under rule 3;
(2) Words or expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act.
3. **Appellate Authority and Revisional Authority.** – The Technical Adviser shall be the Appellate Authority and Revisional Authority for the purposes of sections 25 and 26 of the Act.
4. **Appeal.** – (1) Any person aggrieved by an order passed by the Chief Inspector or an Inspecting Authority as the case may be, under sub-sections (1) and (2) of section 25 of the Act, may, within a period of thirty days from the receipt of such order, may prefer an appeal to the Appellate Authority in Form-I.
(2) Where an appeal is presented after the expiry of the period specified in sub rule(1), it shall be accompanied by an application supported by an affidavit setting forth the facts relied upon by the appellant to satisfy the Appellate Authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the prescribed period.
(3) An appeal filed under sub-rule (1) shall be accompanied by –

- (a) copy of the order of the Chief Inspector appealed against; or
- (b) refusal order of the Inspecting Authority; and
- (c) such documents, as may be necessary to support the grounds of appeal stated in the appeal.

5. Presentation of appeal. – The appeal may be presented either personally or by speed post or e-mail to the Appellate Authority.

6. Fee. – (1) Every appeal shall be accompanied by fee of ₹ 5000/- (Rupees Five thousand only) in the form of crossed demand draft drawn on any nationalised bank in favour of “Drawing and Disbursing Officer, Department for Promotion of Industry and Internal Trade” payable at New Delhi” or through Bharat Kosh portal www.bharatkosh.gov.in:

(2) The acknowledgement slip shall be attached to the appeal.

7. Date and place for hearing appeal. – (1) The Appellate Authority shall fix a date for hearing the appeal within a month from the date of receipt of appeal.

(2) The Appellate Authority shall inform the parties of the date of hearing and send a copy of the appeal to the respondent prior to hearing of the appeal.

8. Hearing of appeal. – (1) On the date fixed for hearing or on any other date to which the hearing may be adjourned, the appellant shall be heard in support of the appeal and the Appellate Authority shall, then, if necessary, hear the respondent, and in such case the appellant shall be entitled to reply and written arguments may be supplemented by oral submissions, subject to time limits as may be determined by the Appellate Authority.

(2) Where the appellant fails to appear on the date fixed for hearing, the Appellate Authority, may, in its discretion, either dismiss the appeal or decide the appeal ex-parte on merits.

(3) Any order authorising the grant or renewal of a certificate shall be subject to payment of applicable fees.

9. Presence of Chief Inspector or Inspecting Authority. – The Appellate Authority, shall determine whether the presence of the Chief Inspector or the Inspecting Authority, as the case may be, is necessary while hearing the appeal, and issue directions accordingly.

10. Attendance of witness. – In appeal, the Appellate Authority shall determine whether the presence of witness is necessary for adjudication of the matter and issue directions accordingly.

11. Revision. – (1) Any person aggrieved, by an order passed under section 25 of the Act, may, within a period of sixty days from the receipt of such order, prefer an application for revision, in writing to the Revisional Authority in Form-II.

(2) Where the application for revision is presented after the expiry of the period specific in sub-rule (1), it shall be accompanied by an application supported by an affidavit setting forth the facts relied upon by the revision petitioner to satisfy the Revisional Authority that he had sufficient cause for not preferring the revision within the specified period.

(3) The application for revision filed under sub-rule (1) shall be accompanied by the original order or a certified copy of the order of the Appellate Authority, and such of the documents, as may be required to support grounds of revision.

12. Presentation of revision. – The application for revision may be presented to the Revisional Authority either personally or by speed post or e-mail.

13. Fee. – (1) Every application for revision shall be accompanied by fee of ₹ 5000/- (Rupees Five thousand only) in the form of crossed demand draft drawn on any nationalised bank in favour of “Drawing and Disbursing Officer, Department for Promotion of Industry and Internal Trade” payable at New Delhi” or through Bharat Kosh portal www.bharatkosh.gov.in:

(2) The acknowledgement slip shall be attached alongwith the application for revision.

14. Date and place for hearing of revision. – (1) The Revisional Authority shall fix the date and place for hearing the revision within a month from the date of receipt of application for revision.

(2) The Revisional Authority shall inform to the parties of the date of hearing and send a copy of the application for revision to the respondent prior to the hearing.

15. Hearing of revision. – (1) On the date fixed for hearing or on any other date to which the hearing may be adjourned, the petitioner shall be heard in support of the revision and the Revisional Authority shall, then, if necessary, hear the respondent, and in such case the petitioner shall be entitled to reply and written arguments may be supplemented by oral submissions, subject to time limits as may be determined by the Revisional Authority.

(2) The Revisional Authority may call upon such experts or consultants from the field of boilers or boiler ancillaries or any other relevant discipline, as it may deem necessary, to assist the Revisional Authority during the hearing of revision.

(3) The Revisional Authority may, after calling for relevant records and other information and considering the observations, if any, on the application for revision; and after obtaining such technical and expert advice as it may consider necessary, pass such order in relation to the application for revision, as it thinks fit:

Provided that where the revision is allowed, the order shall specify the terms and conditions on which any variations from the regulations made under this Act shall be dealt with during the examination of boiler.

(4) Where the petitioner fails to appear on the date fixed for hearing, Revisional Authority, may, in its discretion, either dismiss the application for revision, decide the application for revision ex-parte on merits.

FORM-I
Application for Appeal
[See rule 4]

To
 Technical Adviser and
 Appellate Authority,
 Department for Promotion of Industry and Internal Trade
 Ministry of Commerce and Industry
 New Delhi.

1.	Particulars of appellant: (i) Name: (ii) Address for correspondence: (iii) Contact No: (iv) Email:	
2.	Grounds of appeal: (A copy of order of Chief Inspector or refusal of Inspecting Authority as the case may be to be enclosed)	
3.	Date of order of Chief Inspector or refusal of Inspecting Authority:	
4.	Statement of facts: I/We....., the appellant hereby declare that the facts stated herein above are correct to the best of my/our knowledge, information and belief.	
5.	Signature of appellant and date: (Name of appellant)	

FORM-II
Application for Revision
[See rule 11]

To
 Technical Adviser and
 Revisional Authority,
 Department for Promotion of Industry and Internal Trade
 Ministry of Commerce and Industry
 New Delhi.

1.	Particulars of Revision applicant: (i) Name: (ii) Address for correspondence: (iii) Contact No: (iv) Email:	
----	---	--

2.	Grounds of revision: (A copy of order of Appellate Authority to be enclosed)	
3.	Date of order:	
4.	Statement of facts:	
I/We....., the appellant hereby declare that the facts stated herein above are correct to the best of my/our knowledge, information and belief.		
5.	Signature of revision applicant and date:	
	(Name of revision applicant)	

[F. No. P-30015/7/2025-Boiler]

Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.